पत्र संख्या–6/विविध–01–14/2016गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषय :– **E-kamaan (Automation of Home Guards Organization) (Project ID:NIC-BRSC- e-kamaan-01) योजना के अंतर्गत National Informatics Center Services INC, (NICSI) से प्राप्त प्रोफार्मा इनवयास द्वारा भुगतान हेतु अधियाचित राशि कुल ₹ 22,93,526 (बाईस लाख तिरानवे हजार पाँच सौ छब्बीस रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक–224, दिनांक 20.01.2017 के आलोक में E-kamaan (Automation of Home Guards Organization) (Project ID:NIC-BRSC- e-kamaan-01) योजना के अंतर्गत National Informatics Center Services INC, (NICSI) से प्राप्त प्रोफार्मा इनवयास द्वारा भुगतान हेतु अधियाचित राशि कुल ₹ 22,93,526 (बाईस लाख तिरानवे हजार पाँच सौ छब्बीस रू0) मात्र के अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–होमगार्ड, उपशीर्ष–0001–ग्रामीण, विषय शीर्ष 28 01– व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2070001070001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समादेष्टा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10 उपर्युक्त में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/विविध–01–14/2016गृ0आ0..........1249..........पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/समादेष्टा–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव